कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांकः प.12/12(19)/राजस्व/2022/3494 दिनांक 19/12/2022

अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड द्वितीय
धौलपुर

विषयः– वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी प्रमाण पत्र के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा कालीतीर लिफ्ट योजना हेतु उपखण्ड सरमथुरा क्षेत्र में आने वाले ग्राम भौंहारी की वन भूमि के आ0ख0नं0 373, 356/497 ग्राग मदनपुर की वन भूमि के आ0ख0नं0 100, 432, 437 ग्राम मथारा की वन भूमि आ0ख0नं0 1110 एवं ग्राम गोपालपुरा की वन भूमि के आ0ख0नं0 435, 436 एवं 650 में से 14.8859 हैक्टे0 वन भूमि के बाबत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत निवेदन किया गया था।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति सरमथुरा की अनुशंषा पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत अनुमोदन किया गया है। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन अनुसार वन अधिकार पत्र जारी किया जाकर नियमानुसार आग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार वन अधिकारी पत्र–1

(सुदर्शन सिह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर

क्रमांकः प.12/12(19)/राजस्व/2022/3495–3500 दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को वन अधिकार पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक धौलपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
3. उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा
4. तहसीलदार सरमथुरा
5. विकास अधिकरी पंचायत समिति सरमथुरा
6. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मदनपुर एवं धौंध

अति0 जिला कलक्टर

Copy to AEn I/II

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय धौलपुर

email id:-eewrdlp22@gmail.com

क्रमांकः 1672-1673 दिनांकः 26/12/2022

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम धौलपुर/द्वितीय मनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DHOLPUR (Rajasthan)

No.F12/12/(19)Rev/2022/3476 Date: 13/12/2022

FORM-II

(for projects Other than linear projects)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition for Forest Right) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes , it is certified that 14.8859 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginer WR Division -II Dholpur for Construction of kaliteer Lift Scheme in dholpur district falls within jurisdiction of gram madanpur k.NO.100 area 1.2600 hq., k.no 432 area 2.3450 hq. , k.no 437 area 1.2570 hq , gram bhohari k.no. 373 area 2.8259 hq. k.no. 356/497 area 1.1399 hq. gram gopalpura k.no. 435 area 0.0219 hq. , k.no. 436 area 0.4652 hq. , k.no. 650 area 2.0510 hq. gram mathara k.no. 1110 area 3.5200 hq village (s) in sarmathura tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 14.8859 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right committee(s), gram sabha (s), sub division level committee meeting dated 16.9.2022 and the district level committee meeting dated 10.10.2022 are enclosed as annexure 1 & 2.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.

(c) The each of concerned gram sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of poposed diversion.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the goverment as required under section 3(2) of the FRAhave been completed and the gram sabha have given their consent to it.,

(f) the right of primitive Tribal groups and pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e)of the FRA.

Encls: As above

District Collector

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा

क्रमांकःराजस्व/वअअ/2022/ 788 दिनांकः 16.09.2022

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
धौलपुर

विषयः- वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रावली भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर एवं धौन्ध तहसील सरमथुरा की कुल-14.8859हैक्टेयर वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम,2006 के नियम-3(2) के तहत वनाधिकार पत्र जारी करवाने एवं प्रत्यावर्तन हेतु सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग धौलपुर से प्राप्त प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन एवं अभिशंषा सहित श्रीमान को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त आवेदन के संबंध में दिनांक 16.09.2022 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, सरमथुरा की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय उपरान्त वन अधिकार अधि.2006 के नियम-8(ग) के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम विनिश्चय हेतु मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न-उक्तानुसार।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्डाधिकारी
एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय
वनाधिकार समिति, सरमथुरा

क्रमांकःराजस्व/वअअ/2022/ दिनांकः .09.2022

प्रतिलिपिः- 1. अधि.अभि. जल संसाधन विभाग, धौलपुर
2. सहायक अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, जल संसाधन विभाग, धौलपुर

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्डाधिकारी
एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय
वनाधिकार समिति, सरमथुरा

वनाधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सरमथुरा की बैठक दिनांक 16.09.2022 समय 2.00बजे का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 16.09.2022 को अपरान्ह 2.00बजे उपखण्ड कार्यालय के सभागार मे वनाधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड सरमथुरा में गठित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह मीना, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरमथुरा
2. श्री अमरलाल मीना क्षेत्रीय वन अधिकारी, वृत्त सरमथुरा
3. श्रीमती मीनादेवी पंचायत समिति सदस्य वार्ड सं.8 पं.स.सरमथुरा
4. श्रीमती लखनबाई पंचायत समिति सदस्य वार्ड सं.14 पं.स.सरमथुरा
5. श्री जगदीश मीना पंचायत समिति सदस्य वार्ड सं.10 पं.स.सरमथुरा
6. श्री उमेश कुमार अग्रवाल,सहा.अभियन्ता,जल संसाधन विभाग, खण्ड-द्वितीय, धौलपुर
7. श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल,सहा.अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड-द्वितीय धौलपुर
8. श्री कृष्णगोपाल शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड-द्वितीय, मनियां

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर अभार व्यक्त किया गया। तत्पश्चात बैठक में विचारणीय बिन्दु के बारे में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया जिसके अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, खण्ड-द्वितीय धौलपुर के पत्रांकः161 दिनांक 29.04.2022 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर तहसील सरमथुरा में ग्राम मदनपुर के आ.ख.नं.100 में से 1.2600हैक्टे., 432 में से 2.3450 हैक्टे.,437 में से 1.2570हैक्टे., ग्राम भौंहारी के आ.ख.नं.373 में से 2.8259 हैक्टे., 356/497 में से 1.1399हैक्टे, ग्राम गोपालपुरा के आ.ख.नं.435 में से 0.0219हैक्टे.,436 में से 0.4652 हैक्टे., 650 में से 2.0510हैक्टेयर एवं ग्राम पंचायत धौन्ध तहसील सरमथुरा में ग्राम मथारा के आ.ख.नं.1110 में से 3.5200हैक्टेयर कुल-14.8859हैक्टेयर वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम,2006 के नियम-3(2) के तहत वनाधिकार पत्र जारी करवाने एवं वन भूमि के बदले प्रत्यावर्तित की जाने वाली गैर वन भूमि के आवंटन हेतु भूमि चयन कराकर एवं उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन एवं अभिशंषा सहित श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। इस हेतु अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत मदनपुर एवं ग्राम पंचायत धौन्ध का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम सभा अनुमोदन कार्यवाही, फार्म-ए एवं ग्रामवाईज नक्शा संलग्न प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली एवं दस्तावेजात का सदस्यों को अवलोकन कराया गया। इस दौरान सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना का उद्देश्य चम्बल नदी से पानी लिफ्ट कर पार्वती बाँध एवं रामसागर बांध में डाला जाना है। जिससे जिले की 5 तहसीलों के लगभग 483 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इसके अलावा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर एवं ग्राम पंचायत धौन्ध में स्थित वन विभाग की भूमि के बदले वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि (14.885 हैक्टेयर) के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,धौलपुर के पत्रांकःप.12/12( )राजस्व/2022/1151 दिनांक 11.06.22 की पालना में इस कार्यालय के पत्रांकःराजस्व/आवंटन/2022/572 दिनांक 22.6.22 द्वारा भिजवाये जा चुके हैं।

उक्त कालीतीर लिफ्ट योजना हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग धौलपुर के पत्रांकः460 दिनांक 20.06.2022 की पालना में

A.En. WR Sub Div. II Maniya (Dholpur)

लखनबाई

AEN. W.R. Sub Div. II Dholpur

मीना

जगदीश मीना

खसरा नम्बरवार अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं ग्रामसभा का अनुमोदन ग्राम पंचायत धौन्ध एवं मदनपुर स्तरीय समितियों द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति को प्राप्त हो चुके है। उक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में तहसीलदार, सरमथुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदन में अंकित खसरा नम्बरान वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अब उक्त उपयोग में आने वाली वन भूमि हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अभिशंषा दी जानी है।

उपखण्ड स्तरीय समिति की पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 1.8.2022 में प्रस्ताव में वन विभाग के खसरा नम्बरान स्पष्ट नहीं होने पर जल संसाधन विभाग को स्पष्ट नम्बरान एवं तदनुसार स्पष्ट प्रस्तावित नक्शे तैयार कर समिति के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 4.8.2022 द्वारा उक्त वांछित वन विभाग के खसरा नम्बरान एवं संशोधित नक्शे प्रस्तुत किये गये। इसके पश्चात दिनांक 10.08.2022 को आयोजित बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई।

पत्रावली एवं दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के सभी सदस्यों द्वारा कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली ग्राम पंचायत धौन्ध एवं मदनपुर की कुल 14.8859 हैक्टेयर वन भूमि का अधिकार पत्र जल संसाधन विभाग को जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

अतः उपखण्ड **स्तरीय वन अधिकार समिति, सरमथुरा कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर एवं ग्राम पंचायत धौन्ध तहसील सरमथुरा में स्थित जल संसाधन विभाग के आवेदन में अंकित वन विभाग की कुल 14.8859 हैक्टेयर भूमि का वनाधिकार अधिनियम,2006 के नियम-3(2) के तहत वनाधिकार पत्र जारी किये जाने एवं प्रत्यावर्तन की सिफारिश करती है।** आवेदन को अन्तिम विनिश्चय हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति धौलपुर को भिजवाया जावे।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग सरमथुरा	विकास अधिकारी पंचायत समिति सरमथुरा	उपखण्डाधिकारी सरमथुरा

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
लखनबाई	मीना	जगदीश मीना
मनोनीत सदस्य (01)	मनोनीत सदस्य (02)	मनोनीत सदस्य (03)

AEn, WR SubDiv II Mania (Dholpur)

AEn. WR SubDiv-II Dholpur

APPENDIX

From for seeking prior approval for diversion of forest land for non-forest purposes for the facilities managed by the Government under sub-section (2) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

FORM-A

[See para 2.2(i)]

(To be filled up by the User Agency)

1. Project details
   (i) Short narrative of the proposed project/scheme for which the forest land is required.
   (ii) Details of the forest land required (two options to be indicated)
      a. Location-Survey No./Compartment No.
      b. Extent of the area (in hectare) 14.8859
      c. Forest Division Madan Pur
      d. Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.

   (iii) Justification for locating the project in proposed forest land (s)
   (iv) Number of trees to be felled (per hectare) and number that will be kept standing

2. Detailed purpose-wise break-up of the total forest required with proposed building/activity area map.
3. Confirmation that User Agency will plant at least twice the number of trees to be felled, in the project or adjacent area and the amount to be provided annually for protection and maintenance of these plants for at least five years (Details to be enclosed).
4. Recommendation of the Gram Sabha-Accepted/Rejected [Plese tick (/). As the case may be]. [Copy of the Gram Sabha resolution to be attached]

Signature of the authorized person for the User Agency

VIJAY KUMAR SHARMA

(Name in Block letters)

Vijay Kumar Sharma

Address ~~अधिशाषी अभि~~
जल संसाधन खण्ड द्वितीय
धौलपुर

Date: 07.04.2022

Place: Dholpur

Umesh ji acer letter

कार्यालय - ग्राम पंचायत मदनपुर पं०सं० सरमथुरा

क्रमांक: ग्रा/1/ ४

दि० 20/06/22

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि काश्तीतीर सिंचाई योजना के प्रस्ताव में वर्णित ग्राम व खसरा नं० एवं क्षेत्रफल निम्न विवरण अनुसार है।

क्रमसं०	ग्राम का नाम	खसरा नं०	क्षेत्रफल
1.	औंडारी	373	2.8259
2.	औंडारी	356/497	1.1399
3.	मदनपुर	100	1.2600
4.	मदनपुर	432	2.3450
5.	मदनपुर	437	1.2.570
6.	गोपालपुरा	435	0.0219
7.	गोपालपुरा	436	0.4652
8.	गोपालपुरा	650	2.0510

काश्तीतीर सिंचाई योजना के प्रस्ताव में वर्णित वन भूमि पर किसी प्रकार का वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। एवं कोई भी पत्रावली/आवेदन इस ग्राम पंचायत में लम्बित नहीं है। अतः इस भूमि पर। इस योजना (काश्तीतीर सिंचाई योजना) के (क्रियान्वन में) कोई भी आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बड़रिया
पं.स. सरमथुरा (धौलपुर) राज.

सरपंच
ग्राम पंचायत मदनपुर
पं.स. सरमथुरा (धौलपुर) राज.

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164) जी. पी. संख्या 11

(57)

पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति मदनपुर पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर वर्ष 2022

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
20-6-2022	मदनपुर	लखन कुमार शर्मा		आज दिनांक 20/6/22 को ग्राम पंचायत मदनपुर	[illegible]
				में पंचायत बैठक का आयोजन करवाया	सरपंच ग्राम पंचायत मदनपुर
			प्रमोद	गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमान सरपंच महोदय	
			ग्रा.वि.अ.	लखन कुमार शर्मा द्वारा की गई तथा बैठक	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मदनपुर पं.स. सरमथुरा (धौलपुर)
			कनिष्ठ लिपिक	की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई, कोरम पूर्ण	
			सुकेश शर्मा	होने पर सदन की कार्यवाही शुरू करने हेतु	
			महावीर	प्रस्ताव रखा सरपंच महोदय द्वारा कार्यवाही	महावीर
				करने हेतु प्रस्ताव रखा।	
			रविकुमार	प्रस्ताव संख्या 1- [illegible]	रविकुमार
				[illegible] वन भूमि [illegible]	
			बबली देवी	[illegible] भूमि आवंटन करने हेतु [illegible]	बबली देवी
				[illegible]	
				[illegible]	
			नरसिंह	[illegible] पंचायत	नारायण
				बैठक में [illegible]	
			पाना	[illegible] सदन	पाना
				[illegible]	
			मुन्नी देवी	[illegible]	
				है।	
			मधु देवी	क्रसं ग्राम का नाम खसरा नं क्षेत्रफल	
				1. मोखारी 373 2.8259 है0	
				2. मोखारी 356/497 1.1399 है0	
			बच्चू	3. मदनपुर 100 1.2600 है0	
				4. मदनपुर 432 2.3450 है0	
				5. मदनपुर 437 1.2570 है0	
				6. गोपालपुरा 435 0.0219 है0	
				7. गोपालपुरा 436 0.4652 है0	
				8. गोपालपुरा 650 2.0510 है0	
				योग- 11.3659 है0	
				अतः वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं गैर वन भूमि आवंटन हेतु	
				[illegible] प्रस्ताव [illegible] वनभूमि	

पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति .... पंचायत समिति .... जिला .... वर्ष

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण पत्रावली में नहीं पाया गया है। - कोई भी पत्रावली आवेदन ग्राम पंचायत में लंबित नहीं है। - अतः इस ग्राम में इस योजना ([illegible]) के क्रियान्वयन में कोई आपत्ति नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। - उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। - धन्यवाद देकर - सरपंच महोदय द्वारा मीटिंग का समापन किया गया।	
				ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ... सरमथुरा (धौलपुर) राज. — सरपंच ग्राम पंचायत ... पं.स. सरमथुरा (धौलपुर) राज.	

पंचायती राज विभाग
सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत धौन्ध

पंचायत समिति सरमथुरा जिला-धौलपुर (राज0)

गीता
सरपंच
ग्राम पंचायत धौन्ध
पं. स. सरमथुरा (धौलपुर) राज.

Mob. 9784399707

क्रमांक 6/L-71 दिनांक 20/06/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालीतीर लिफ्ट योजना के प्रस्ताव में वर्णित ग्राम मधारा खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल जिसका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
01	मधारा	1110	3.5200

कालीतीर लिफ्ट योजना के प्रस्ताव में वर्णित वन भूमि पर किसी प्रकार का वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है एवं कोई भी पत्रावली/आवेदन इस ग्राम पंचायत में लम्बित नहीं है अतः इस भूमि पर इस कालीतीर लिफ्ट योजना के क्रियान्वयन में कोई भी आपत्ति नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पं. धौंध

गीता
सरपंच
ग्राम पंचायत धौन्ध
प स बसेडी (धौलपुर) राज

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति धौन्ध पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर वर्ष 2022

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
20/6/22	सीतारामजी खिरकाटी प्रा. वि.	श्रीमती गीता देवी सरपंच	गोलू वीकेश पप्पू हरिप्यारे भीमसेन मनोज	आज दिनांक 20/06/2022 को रा०प्रा०वि० सीताराम की खिरकाटी (धौन्ध) पर सरपंच श्रीमती गीता देवी की अध्यक्षता में वार्डपंचो की पाक्षिक बैठक का आयोजन प्रातः 10:00 Am पर किया गया जिसमें सर्वप्रथम पूर्व की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्र.सं० 01 = बैठक में आय पर चर्चा की गयी प्र० सं० 02 = बैठक में नामान्तरणों पर चर्चा की गयी प्र० सं० 03 = बैठक में निर्माण कार्यों पर [illegible] प्र० सं० 04 बैठक में [illegible]	

[illegible signatures] धौन्ध (stamp: सरपंच ग्राम पंचायत धौन्ध)

की गयी

प्र० सं० = 03 = बैठक में निर्माण कार्यो पर चर्चा की गयी।

प्र० सं० 05 बैठक में कालीतीर लिफ्ट योजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि राजस्व गाव-मधारा के खसरा नं० 1110 क्षेत्रफल 3.5200 के प्रत्यावर्तन एवं गैर वन भूमि आवंटन करने हेतु सदन में विस्तार से उपस्थित सदस्यों ने चर्चा की तथा सर्वसम्मति से राजस्व गाँव मधारा की खसरा सं० 1110 क्षेत्रफल 3.5200 कालीतीर लिफ्ट योजना के प्रस्ताव में वर्णित इस भूमि पर किसी प्रकार वन अधिकार पत्र जारी नही किया है एवं कोई भी पत्रावली / आवेदन इस ग्राम पंचायत में लम्बित नहीं है अतः इस भूमि पर इस योजना के क्रियान्वयन में कोई आपत्ति नही है अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तदोपरान्त कार्यवाही का सर्व सम्मति से समापन किया जाता है।	हरिपाल बीकेश पशु नीतू आमसिंह

प्रमाणित

हरिपाल नीतू
बीकेश पशु
आमसिंह

सीता
सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible] (बागेश्वर) उ०ख०

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

कमांक :– जल संसाधन /1326 दिनांक :– 18.10.2022

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.10.2022 बावत् में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारां की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत एफ0आर0ए0 बावत्।

आज दिनांक 11.10.2022 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गठित स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुयेः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर–सदस्य सचिव
2. उप वन सरंक्षक धौलपुर–सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत धौलपुर
4. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड़ द्वितीय धौलपुर
5. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड़ प्रथम धौलपुर (खण्ड़ द्वितीय धौलपुर)
6. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड़ द्वितीय मनियां (खण्ड़ द्वितीय धौलपुर)
7. पी.आर.ओ. धौलपुर।

बैठक में कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत उपयोग में ली गई ग्राम भौहारी के आराजी खसरा नं. 373 एवं 356/497, ग्राम मदनपुर के आराजी खसरा नं. 100, 432 एवं 437, ग्राम मथारा के आराजी खसरा नं. 1110 एवं ग्राम गोपालपुरा के आराजी खसरा नं. 435,436 एवं 650 से उक्त योजना हेतु कुल 14.8859 हैक्टेयर वन भूमि के सम्बन्ध में एफ.आर.ए. जारी किये जाने बावत् उपखण्ड़ अधिकारी सरमथुरा उपखण्ड़ स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.09.2022 में की गई अभिशंषा पर विचार किया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी सरमथुरा के पत्रांक राजस्व/वअअ/2022/788 दिनांक 16.09.2022 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर ग्राम ग्राम भौहारी के आराजी खसरा नं. 373 एवं 356/497, ग्राम मदनपुर के आराजी खसरा नं. 100, 432 एवं 437, ग्राम मथारा के आराजी खसरा नं. 1110 एवं ग्राम गोपालपुरा के आराजी खसरा नं. 435,436 एवं 650 से उक्त योजना हेतु कुल 14.8859 हैक्टेयर भूमि अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कालीतीर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत वन क्षेत्र में उपयोग किया जाने पर भूमि का एफ.आर.ए. जारी करने की अभिशंषा की गई है।

उपखण्ड़ अधिकारी सरमथुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उपखण्ड़ स्तरीय समिति की अभिशंषा पर जिला स्तरीय समिति के द्वारा विचार विमर्श किया गया कि ग्राम भौहारी के आराजी

खसरा नं. 373 में से 2.8259 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 356/497 में से 1.1399 हैक्टेयर ग्राम मदनपुर के आराजी खसरा नं. 100 में से 1.2600 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 432 में से 2.3450 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 437 में से 1.2570 हैक्टेयर ग्राम गोपालपुरा तहसील सरमथुरा के आराजी खसरा नं. 435 में से 0.0219 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 436 में से 0.4652 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 650 में से 2.0510 हैक्टेयर एवं ग्राम पंचायत धोन्ध तहसील सरमथुरा में ग्राम मथारा के आराजी खसरा नं. 1110 में से 3.5200 हैक्टेयर कुल 14.8859 हैक्टेयर वन भूमि कालीतीर लिफ्ट स्कीम हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किसी भी अनुसूचित जनजाति व अन्य किसी ग्रामवासी ने ग्राम पंचायत मदनपुर एवं ग्राम पंचायत धोन्ध कार्यालय में कोई दावा प्रस्तुत नही किया है ना ही अन्य परम्परागत वन निवासी निवास करते है। उल्लेखित वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित नही होना बताते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से उक्त वन भूमि पर कोई दावा लम्बित नही होने के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य परम्परागत वन निवासी अधिकार अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड सरमथुरा क्षेत्र में आने वाले ग्राम भौहारी की वन भूमि के आराजी खसरा नं. 373, 356/497 ग्राम मदनपुर की वन भूमि के आराजी खसरा नं. 100, 432, 437, ग्राम मथारा की वन भूमि आराजी खसरा न.1110 एवं ग्राम गोपालपुरा की वन भूमि के आराजी खसरा नं. 435, 436 एवं 650 में से 14.8859 हैक्टेयर वन भूमि के बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु एफ.आर.ए. जारी करने का अनुमोदन किया जाता है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर (सदस्य सचिव)	उप वन संरक्षक/ वन मण्डल अधिकारी धौलपुर	जिला कलक्टर धौलपुर (अध्यक्ष)
मनोनीत सदस्य राजवीर मीना	मनोनीत सदस्य अनुराधा	मनोनीत सदस्य

जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही

(नियम 8 (ग) देखे)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की माह 200 की धारा 6 (5) के प्रावधानान्तार्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.202 को जिला कलेक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई एवं नियम 8 (ग) के अन्तर्ग उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों और अभिलेखों पर विचार किया गया तथा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड़ द्वितीय धौलपुर तहसी धौलपुर जिला धौलपुर को नियमानुसार वन भूमि पर वन अधिकार अधिभोग करने का अनुमोदन किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार कृषि / आवास
मोहारी	373	326.3200	2.8259	बंजड
मोहारी	356 / 497	124.5400	1.1399	गै.मु. बीहड
मदनपुर	100	155.1700	1.2600	गै.मु.
मदनपुर	432	296.5500	2.3450	गै.मु.
मदनपुर	437	26.5700	1.2570	गै.मु.
मथारा	1110	202.3600	3.5200	गै.मु. डगरिया
गोपालपुरा	435	1.2500	0.0219	गै.मु. सड़क
गोपालपुरा	436	232.5600	0.4652	गै.मु. डगरिया
गोपालपुरा	650	159.1200	2.0510	गै.मु. डगरिया
योग		**1524.44**	**14.8859**	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर
(सदस्य सचिव)

उप वन सरंक्षक /
वन मण्डल अधिकारी
धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर
(अध्यक्ष)

मनोनीत सदस्य
राजवीर मीना

मनोनीत सदस्य
अनुराधा

मनोनीत सदस्य

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DHOLPUR (Rajasthan)

No.F12/12/(19)Rev/2022/3476 Date: 13/12/2022

FORM-II

(for projects Other than linear projects)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition for Forest Right) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes , it is certified that 14.8859 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginer WR Division -II Dholpur for Construction of kaliteer Lift Scheme in dholpur district falls within jurisdiction of gram madanpur k.NO.100 area 1.2600 hq., k.no 432 area 2.3450 hq. , k.no 437 area 1.2570 hq , gram bhohari k.no. 373 area 2.8259 hq. k.no. 356/497 area 1.1399 hq. gram gopalpura k.no. 435 area 0.0219 hq. , k.no. 436 area 0.4652 hq. , k.no. 650 area 2.0510 hq. gram mathara k.no. 1110 area 3.5200 hq village (s) in sarmathura tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 14.8859 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right committee(s), gram sabha (s), sub division level committee meeting dated 16.9.2022 and the district level committee meeting dated 10.10.2022 are enclosed as annexure 1 & 2.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.

(c) The each of concerned gram sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of poposed diversion.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the goverment as required under section 3(2) of the FRAhave been completed and the gram sabha have given their consent to it.,

(f) the right of primitive Tribal groups and pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e)of the FRA.

Encls: As above

District Collector

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर

Scanned by Scanner Go